

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

L.D. Case No.- 170/2024

Indradeo Ravidas & Ors.Appellants.

Versus

The State of Bihar & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date										
1	2	3	4										
	08.8.2025	आदेश यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, बारसोई, कटिहार द्वारा BLDR Case No-170/2022-23 में दिनांक-23.2.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत जमीन का विवरणी निम्नानुसार है :- <table><tr><td>अंचल</td><td>मौजा/ थाना नं०</td><td>खाता</td><td>खेसरा</td><td>रकबा</td></tr><tr><td>बारसोई</td><td>बिछड़ा/13</td><td>56</td><td>171</td><td>10 डी०</td></tr></table> दिनांक-24.7.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षीगण का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थीगण की ओर से Written Note of Argument दाखिल है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि अपीलार्थी प्रश्नगत जमीन के सिकमी रैयत के वारिसान होने का दावा कर रहे हैं। जबकि विपक्षीगण का दावा है कि प्रश्नगत जमीन उनके पिता लच्छु मोची को बासगीत पर्चा वाद सं०-08/1977-78 से प्राप्त है। सुनवाई में उपस्थापित कागजातों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के सिकमी रैयत के वारीसान के आधार पर प्रश्नगत जमीन पर किया जा रहा दावा विधिमान्य नहीं है। विपक्षी सुरेश रविदास Privileged Tenant के वैध उत्तराधिकारी हैं। सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से विपक्षी के पिता को वासगीत पर्चा प्राप्त रहने संबंधी तथ्य को Negate करने के संबंध में कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। <u>Bye k.</u> <u>08/8/2025.</u> आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। <u>Bye k.</u> <u>08/8/2025.</u> आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। 	अंचल	मौजा/ थाना नं०	खाता	खेसरा	रकबा	बारसोई	बिछड़ा/13	56	171	10 डी०	
अंचल	मौजा/ थाना नं०	खाता	खेसरा	रकबा									
बारसोई	बिछड़ा/13	56	171	10 डी०									

